

23/12/15 वादी एवम वादी वकील उद्युपस्थित। उलिकाधी वकील
उपस्थित। वादी एवम वादी वकील को ठहर ठहर कर अदालत उठेन
तक आवाजे दिलकारी गई परन्तु उनकी और से कोई उपस्थित
नही आया अतः प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है
बाद तकमीन तफतर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
बसुकी (अजमेर)

